बिना परखे दवा को दी हरी झंडी

जयपुर. जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत अनुसंधान केन्द्र दुर्गापुरा के कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की फसल को खरपतवार से बचाने के लिए एक निजी कम्पनी में बनी दवा के इस्तेमाल की अनुशंसा बिना जांच कर दी। कायदे से अनुमोदन व अनुशंसा से पहले ऐसी किसी दवा पर तीन साल तक जांच जरूरी होती है।

केन्द्र की क्षेत्रीय अनुसंधान एवं विस्तार सलाहकार समिति बनी हुई है। इसमें केन्द्र के निदेशक समेत चार कृषि वैज्ञानिक सदस्य होते हैं। समिति की तीन माह पहले हुई बैठक में गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के लिए निजी कम्पनी में बनी दवा क्लोनिडफोप का अनुमोदन कर बुवाई के 30-35 दिन बाद छिड़काव की अनुशंसा कर दी गई। समिति ने दवा के असर के बारे में तथ्य या अनुसंधान रिपोर्ट चर्चा के लिए पेश नहीं की। कृषि विवि के अन्य कृषि वैज्ञानिकों को जानकारी मिली तो उन्होंने शिकायत कुलपति से की। फिलहाल सिफारिश कृषि विभाग को नहीं भेजी जा रही।

यह दवा भीलवाड़ा जोन में इस्तेमाल हो रही थी। नियमानुसार किसी दूसरे जोन में इस्तेमाल के लिए समिति की सिफारिश जरूरी होती है। दवा पर जांच के बाद समिति निदेशक को पत्र लिखकर अनुशंसा करती है। इस मामले में बिना जांचे-परखे ही दवा को जयपुर जोन के लिए अनुमोदित कर दिया गया।

'दूसरे जोन में यह दवा काम में आ रही थी। इसलिए जयपुर जोन में इस्तेमाल को हरी झंडी दे दी थी। कृषि विभाग को इस दवा के इस्तेमाल की सिफारिश भेजी जानी थी, लेकिन इसे रोक दिया है।'

स्वरूप सिंह, तत्कालीन निदेशक, कृषि अनुसंधान केन्द्र

'दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केन्द्र के बारे में शिकायतें मिली हैं। जांच के लिए कमेटी बनी है। बिना जांच के किसी दवा की सिफारिश हुई है तो जांच कमेटी को मामला भेजा जाएगा।'

हनुमान सिंह भाटी, कुलपति, कृषि विवि जोबनेर एवं संभागीय आयुक्त, जयपुर